माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1104 /08/प्रशा0/एम.एस.यू./2023–24 दिनांक: 16-09-23

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषयः–नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर ऑन लाईन संचालित प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में वी0सी0 के माध्यम से हुई समीक्षा में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0) शिक्षा डिग्री विकास उ0प्र0, प्रयागराज के पत्रांक सं0–डिग्री विकास/48539–40/2023–24 दिनांक 15.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर ऑन–लाईन संचालित प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में नेशनल स्कालरशिप के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनका बायो आथेन्टिकेशन नहीं हुआ है, उन छात्रों का बायो आथेन्टिकेशन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक सं0–2905/अ0सं0क0नि0–1082–एन0एस0पी0–2023–24/2023 दिनांक 08 सितम्बर, 2023 एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक सं0–2937/अ0सं0क0नि0–1082–एन0एस0पी0 –2023–24/2023 दिनांक 11 सितम्बर, 2023 (पत्र संलग्न) के आलोक में उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

16.09.2023

(डॉ0 राकेश चन्द्र)
नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति

प्रतिलिपिः–

01. शिक्षा निदेशक (उ0शि0) शिक्षा डिग्री विकास उ0प्र0, प्रयागराज।
02. संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा कृते–शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ, उ0प्र0।
04. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
05. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. उपकुलसचिव।
07. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहारनपुर।

नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति

आवश्यक

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
शिक्षा डिग्री विकास
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ0प्र0।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

पत्रांक–डिग्री विकास/ 48539-40 /2023–24 दिनांक– 15/09/2023

विषय– नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आन–लाइन संचालित प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में वी0सी0 के माध्यम से हुई समीक्षा में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–2937/अ0सं0क0नि0–1082–एन0एस0पी0–2023–24/2023 दिनांक–11.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आन–लाइन संचालित प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में नेशनल स्कालरशिप के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनका बायो आथेन्टिकेशन नहीं हुआ है, उन छात्रों का अल्पसंख्यक कार्यालय द्वारा संलग्न पत्र के अनुसार दिये गये बिन्दुओं को भली–भांति अवलोकन करते हुए बायोमेट्रिक करवाना है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करे एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय

15.9.23

डॉ0(अपर्णा मिश्रा)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा
कृते–शिक्षा निदेशक,उच्च शिक्षा
प्रयागराज।

457

समन्वयक (छात्रवृत्ति)
15.9.23

ई–मेल द्वारा अति आवश्यक

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश
620 इन्दिरा भवन लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 2905 / अ0रा0छा0नि0 1082 एन0एस0पी0 2023–24 / 2023 दिनांक 29 सितम्बर, 2023

विषय: नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आन लाइन संचालित प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में वी0सी0 के माध्यम से हुई समीक्षा में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन पजीकृत छात्र/छात्रायें किसी कारण से जनपद में रहते हैं उनके बायो आथेन्टिकेशन उनकी इच्छानुसार उनकी पसंद के जनपद में कराये जाने की व्यवस्था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0एस0पी0 पर कर दी गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत ही हैं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं :

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR BIO AUTHENTICATION OF STUDENTS WHO ARE PRESENTLY RESIDING IN STATE/DISTRICTS OTHER THAN THE STATE/DISTRICT OF HIS INSTITUTION FROM WHERE HE APPLIED FOR SCHOLARSHIP.

Step 1: Action on part of Applicant.

NSP will provide an additional facility to applicants who have not completed their BioAuth and intend to change the District/State for their BioAuth procedure. This option will be visible only to those applicants whose institute's HOI have completed their BioAuth.

The applicant applied for Scholarship shall login to his NSP Account wherein he will find a link for submitting details for bio authentication in his present district. The link will be mentioned as "Select District for bioAuth"

The applicant will furnish his details in the provided fields and upload required document (Screen shot appended below for reference).

The facility to exercise this option will be provided only once. Hence applicants are advised to choose the option carefully.

Step 2: Action on Part of DNO

- The details furnished by applicant under Step 1 will be made available in the NSP login of DNOs pertaining to their district for all MoMA schemes.
  The DNO will check the submissions of applicants and uploaded documents
  The contact details of the institution whereby the students had applied will also be made available to DNO. In case the DNO require any assistance from institutions, he may call the HOI/INO for verification
- The DNO will approve the applicants whose cases are found verified based on their submissions and documents.
- The DNO concerned than allow bio auth of such applicants. The VLE will intimate bio-Auth sessions for such students only after bio- Auth verification by concerned DNO.
- Once the applicants has done his bio-Auth, his application will be moved to INO login of his/her institute for revalidation. The revalidation of such students shall be doneby INO in consultation with HoI
- This facility shall be used by only those students who has moved out of State/district of his insitutions due

to compelling reasons (viz. further study, professional engagement). In no case, the SNO/DNO shall allow other applicant to avail this facility.

Step 3: Action on part of NSP-NIC

- After approval of DNO in step 2, the NIC will send a SMS to concerned applicants stating that "{Application ID}:- Your request to change bioAuth camp location has been approved. Please contact SNO or District Nodal Officer (DNO) of MoMA schemes. Contact details are provided on portal at 'Search Scheme Wise Nodal Officer' under Public Corner"

- NSP will provide the additional information on State and District opted by the applicant to CSC through existing API integration
- The applicant will get information of SNO in his login for subsequent action/references.

- The NSP will make all necessary arrangement to make the applicant aware that this facility to exercise this option will be provided only once. Alert in Login of the applicant while/before filing opting such request may be popped up.

Step 4: Action on part of DNO/CSC

- The INO and CSC based on the nos. of applicants approved by DNO, will organize special camp for such students.

- DNO will download list of approved applicants from his NSP Login and will hand over it to CSC.
- CSC will ensure that duly approved applicants may be allowed for bioAuth on BAU Portal from the district approved by DNO. CSC will also ensure that the process of applicants' BioAuth at his opted district will be initiated only after the biometric authentication of DNO on BAU Portal.
- CSC will be responsible to ensure that registered VLE of the additional district will verify the application in presence of the DNO concerned.

अतः शासकीय कार्यहित में आपको उपरोक्त एस0ओ0पी0 की प्रति जो आपको पूर्व में ही बायो आथेन्टिकेशन के अनुश्रवण हेतु बने WhatsApp Grpup में पोस्ट की जा चुकी है, की प्रति संलग्न निर्देशित किया जाता है कि कृपया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के उक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(एस0एन0पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक / स्टेट नोडल अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
2 निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, 620 इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा व्यक्तिक सहायक।
3. उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपदों का प्रभावी अनुश्रवण कर कृत कार्यवाही से स्टेट नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4 निदेशक बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से भी सभी समस्त सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(एस0एन0पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक / स्टेट नोडल अधिकारी

क्रमांक – 01

ई–मेल द्वारा अति आवश्यक

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश,
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 2937 /अ0सं0क0नि0–1082–एन0एस0पी0–2023–24/2023 दिनांक 11 सितम्बर, 2023

विषयः Report on students opting other district for bio-auth and DNO user manual for approval of the student's request for opting other district. का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओ के अधीन पंजीकृत छात्र/छात्रायें किसी कारण से संस्थान से चले गए है उनके बायो आथेन्टिकेशन उनकी इच्छानुसार उनकी पसंद के जनपद में कराये जाने की व्यवस्था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0एस0पी0 पर कर दी गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की आई0डी0 nicpmu-nsp@nic.in के माध्यम से विषयगत प्रकरण निम्न विवरण संलग्न किये गये हैं:–

1. DNOs' bio-auth status report.
2. DNOs' not done bio-auth but student opted the district for their bio-auth and student count district wise opted for bio-auth (student opted other district than institute disrict). The details of DNOs who's bio-auth is yet not done is mentioned in the list including the login ids. SNOs may request them to complete their bio-auth.
3. DNOs' can view the student's request for opting other district (district other than institute district) for bio-auth and can approve the same from the option **"Approve applicant for bio-auth"**. The user manual for the same is attached herewith for ready reference.

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ऐसे छात्र/छात्रायें जो कतिपय कारणों से (उच्च शिक्षा, किसी रोजगार आदि) संस्थान छोड़ कर चले गये हैं, और जिस जनपद में संस्थान स्थित है उससे भिन्न जनपद/राज्य में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा bio-Auth के विकल्प के रूप में भरा गया है उन छात्रों को उनके द्वारा दिये गये जनपद में bio-Auth करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाय। यदि इस सम्बन्ध में छात्र के अध्ययनरत होने मे किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता हो तो उस जनपद (जहां संस्थान स्थित है) के डी0एन0ओ0 से समन्वय स्थापित कर छात्र/छात्रा के सम्बन्ध में यथा आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः शासकीय कार्यहित में आपको उपरोक्त एस0ओ0पी0 की प्रति जो आपको पूर्व में ही बायो आथेन्टिकेशन के अनुश्रवण हेतु बने WhatsApp Group में पोस्ट की जा चुकी है, पुनः संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि कृपया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के उक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0एन0पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक/स्टेट नोडल अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, 620 इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा व्यक्तिक सहायक।
3. उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपदों का प्रभावी अनुश्रवण कर कृत कार्यवाही से स्टेट नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सहा0 नि0 डा0 जय सिंह

12/9/23

10
12/9/2023

14.9.23